

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

नं./प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
127 / 21	53, 188 RTA	कलमण्डा	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
जगदीश	बनाम	रामेश्वर वर्गो

वकील :- श्री दिलीप सिंह एडवो	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ

14.09.2021	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.11.21 को पेश हो।	
9/11/21	मैत्रासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी द्वारा मे रहने से पूर्ववत दिनांक 30/11/21 को प्रस्तुत की। श्री डी.डी. रौडर नया खण्ड अधिकारी बारां	
21-12-21	मैत्रासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी द्वारा 20/12/21 मे रहने से पूर्ववत दिनांक 8-2-22 को प्रस्तुत की। श्री डी.डी. रौडर नया खण्ड अधिकारी बारां	
8-2-22	मैत्रासीन अधिकारी श्री कोठारे मे रहने से पूर्ववत दिनांक 12-4-22 को प्रस्तुत की। श्री डी.डी. रौडर नया खण्ड अधिकारी बारां	
12-4-22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उक्त जर्ज गरी गण की लखी से तलवका पेश करे पत्रावली वादी लखी दिनांक 6-6-22 को पेश हो।	
6-6-22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उक्त प्रतिवादी गण की लखी से तलवका पेश करे पत्रावली वादी लखी दिनांक 12-7-22 को पेश हो।	
12-8-22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उक्त जर्ज गरी गण की लखी से तलवका पेश करे पत्रावली वादी लखी दिनांक 23-9-22 को पेश हो।	

20-8-25

पत्रावली आज पेना हूँ / वरीक वादी / वादी एवं वरीक
 प्रिवादी / प्रिवादी उफो नकी / वरीक वादी / वादी एवं
 वरीक प्रिवादी / प्रिवादी ले सेन काट आवाज
 अगपकि मकि / कावजूद पुचन के वरीक वादी /
 वादी एवं वरीक प्रिवादी / प्रिवादी नपपानप के
 उफो नकी / डोट वादी ला वाद अदम राजरी अदम
 पिकी के वारीज लि मा जामा के पत्रावली के वरीक
 आवाज सेन काट वरीक वरीक के वरीक
 वरीक के

उप सण्ड अधिकारी
बारां